

धर्मों में तात्कालीन शिक्षा व्यवस्था का एक अध्ययन

¹डॉ० कृपाल सिंह

¹पूर्व शोधार्थी, मनोविज्ञान, एस०वी० कालेज अलीगढ़।

Received: 08 May 2019, Accepted: 11 May 2019 ; Published on line: 15 May 2019

Abstract

आज गाँधी के समस्त सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक चिन्तन पर धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। राजनीति में उन्होंने अपने तीन अमोघ अस्त्रों सत्याग्रह, अहिंसा तथा निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा धर्म तथा राजनीति को जोड़ने का प्रयास किया। गाँधी की धर्म के प्रति अवधारणा तर्कसंगत है। वस्तुतः गाँधी चाहते थे कि धर्म का एक नैतिक उद्देश्य होना चाहिए और यह कर्मकाण्डों, अंधविश्वासों और जड़ता से रहित होना चाहिए। गाँधी को इन्हीं मान्यताओं के आधार पर सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने भी ऐसा ही कहा है।

मुख्य शब्द : नैतिकता, दृष्टिकोण, पारस्परिक, ग्रामोन्मुख, साम्प्रदायिक।

प्रस्तावना

अतः धर्म के सम्बन्ध में गाँधी का दृष्टिकोण प्रगतिशील है। उन्होंने धर्म का मूल नैतिकता को माना है और इसी आधार पर वे सभी धर्मों को समान मानते हैं क्योंकि विश्व के सभी धर्म नैतिकता सीखाते हैं। धर्म को गाँधी ने राजनैतिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ण करने का उपकरण माना। गाँधी ने लिखा है “यदि हम नैतिकता को छोड़ देते हैं तो हम धार्मिक नहीं रह जाते। कोई भी धर्म नैतिकता से ऊपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति क्रूर, असत्यवादी और हिंसक प्रवृत्ति का है और फिर भी यह सोचे कि ईश्वर का हाथ उसके सिर पर है तो यह सम्भव नहीं है।”¹

अतः यदि गाँधी के उपरोक्त धार्मिक विचारों को अपना लिया जाये तो विश्व में धर्म आधारित झगड़े स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे। उनकी मान्यता है कि धार्मिक चेतना ही एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना का विश्वसनीय आधार हो सकती है। गाँधी धार्मिक चिन्तन की विशेषताओं की व्याख्या निम्नांकित बिन्दुओं में की जा सकती है –

1. धर्म का नैतिकता के साथ अटूट सम्बन्ध हैं।
2. सभी धर्म समान है क्योंकि सभी धर्म नैतिकता सिखाते है।
3. सभी धर्मों में श्रेष्ठ एवं शुभ उपवंश हैं।
4. सभी धर्मों में कमियां हैं।
5. सभी धर्म सह-अस्तित्व सिखाते हैं।
6. धर्म जीने की एक पद्धति हैं, तरीका हैं।
7. हर व्यक्ति को अपनी अभिरूची के अनुसार धर्म के चयन की स्वतंत्रता हैं।
8. हिन्दू धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था अनेक रूपों में हितकारी है यह आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हैं।
9. जातिवाद वर्णाश्रम व्यवस्था का विकृत रूप हैं।

गाँधी के धार्मिक चिन्तन से स्पष्ट है कि उनका धार्मिक चिन्तन समग्र एवं समविष्टवादी सोच रखता हैं। 1921 में गाँधी ने धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया था कि – अपने लम्बे समय अनुभव व अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि (i) सभी धर्म यथार्थ हैं, सत्य है” (ii) सभी धर्मों में कमियां है (iii) सभी धर्म मुझे उतने ही प्रिय है जितने हिन्दू धर्म। यहाँ किसी धर्म को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसी का धर्म ठीक है। अतः अन्य को भी यह नहीं सोचना उसी के धर्म को स्वीकारना चाहिए। धर्मों के प्रति ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि हम यह समझे कि हर धर्म अपने धर्मालम्बी को एक श्रेष्ठकर मानव बनाने की क्षमता रखता है। अतः हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि ईश्वर अन्य को ऐसी शक्ति और प्रकाश दे कि वह आत्मोत्थान कर सकें, एक श्रेष्ठतर हिन्दू बन सकें, मुसलमान श्रेष्ठतर मुसलमान व क्रिश्चियन श्रेष्ठतर क्रिश्चियन बन सके। सभी धर्मों का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को श्रेष्ठ मानव बनाना हैं।”

गाँधी के धार्मिक चिन्तन से स्पष्ट है कि उनका धार्मिक चिन्तन समग्र एवं सर्वविष्टवादी सोच रखता है। 1921 में गाँधी ने धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया था कि –

अपने लम्बे अनुभव व अध्ययन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि (1) सभी धर्म यथार्थ हैं, सत्य है” (2) सभी धर्मों में कमियां हैं (3) सभी धर्म मुझे उतने ही प्रिय है जितने हिन्दू धर्म। यहाँ किसी धर्म को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसी का धर्म ठीक है। अतः अन्य को भी यह नहीं सोचना उसी के धर्म को स्वीकारना चाहिए। धर्मों के प्रति ऐसी अभिव्यक्ति होनी चाहिए कि हम यह समझे कि हर धर्म अपने धर्मावलम्बी को एक श्रेष्ठकर मानव बनाने की क्षमता रखता है। अतः हमारी प्रार्थना यह

होनी चाहिए कि ईश्वर अन्य को ऐसी शक्ति और प्रकाश दे कि वह आत्मोत्थान कर सकें, एक श्रेष्ठतर हिन्दू बन सकें, मुसलमान श्रेष्ठतर मुसलमान व क्रिश्चियन श्रेष्ठतर क्रिश्चियन बन सकें। सभी धर्मों का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को श्रेष्ठ मानव बनाना है।”

अतः गाँधी का धार्मिक चिन्तन यदि एक शब्द में कहा जाय तो वह यह है ‘सर्वधर्मसमभाव’ इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए वह कहते हैं – “मैं वेदों के एकमात्र देवत्व में ही विश्वास नहीं करता। मैं बाइबिल, कुरान, जेन्द अवेस्ता को भी उतना ही प्रेरणायुक्त मानता हूँ जितना कि वेदों को”

गाँधी के सर्वधर्मसमभाव के धार्मिक चिन्तन में विश्व की धर्म आधारित समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सम्भव है। गाँधी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें दुनिया के अन्य धर्मों की तुलना में हिन्दू धर्म में दूसरे में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर का भाव तथा उदान्त मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ और उसी कारण हिन्दू धर्म की यह उदार प्रवृत्ति उन्हें प्रेरित करती थी कि वे दुनिया के सभी धर्मों के अच्छे सिद्धान्तों को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहे। उनका मत था कि दूसरे धर्मों के प्रति घृणा, असहिष्णुता हिन्दू धर्म से असंगत है। धर्म के प्रति असहिष्णुता, घृणा और विरोध का कोई स्थान नहीं रहता। उनके अनुसार दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान और सद्भाव शांतिमय सामाजिक व्यवस्था की पूर्व शर्त है। उन्होंने कहा कि सच्चे धर्म का सार, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सकारात्मक दृष्टिकोण में निहित हैं। उनका विश्वास था कि घृणा और वैमनस्य से किसी भी धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती।²

धर्म को गाँधी एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं जो समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती थी। धर्म की उनकी धारणा में सकीर्णता, भेदभाव और वैमनस्य के लिए कोई स्थान नहीं है। गाँधी ने धर्म के प्रति एक मौलिक दृष्टिकोण अपनाया। सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत तत्व के रूप में धर्म को उन्होंने एक ऐसी आस्था के रूप में परिभाषित किया जो सामाजिक बन्धनों में समानता, सहिष्णुता और पारस्परिकता के भाव को सुनिश्चित करें। गाँधी के धर्म सम्बन्धी विचार अनेक मानवीय गुणों की व्याख्या करते हैं साथ ही उनके विचारों में सर्वधर्मसमभाव की विश्वास एक समतापूर्ण समाज की स्थापना में सहायक है। धर्म के साथ-साथ उनके शिक्षा सम्बन्धी विचार भी व्यक्ति के सर्वतोन्मुखी विकास से सम्बन्धित है श्रेष्ठ समाज की स्थापना हेतु शिक्षा सम्बन्धी उनके विचारों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है।

शिक्षा—

गाँधी के अनुसार शिक्षा आदर्श सामाजिक प्रणाली की नींव है। उनकी शिक्षा की धारणा व्यापक है तथा उसका आधार आध्यात्मिक है। गाँधी के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ है, व्यक्ति द्वारा उसके परम तत्व की पहचान और इस ज्ञान को आचरण में उतारने की प्रेरणा, क्षमता और तत्परता। इस प्रकार शिक्षा उनके अनुसार मनुष्य के मानसिक, शारीरिक व आर्थिक विकास को एक साथ सुनिश्चित करती हैं।³ गाँधी के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति में आत्मज्ञान की क्षमता उत्पन्न करें। उनका मत है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा को इस मूलभूत उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। अक्षर ज्ञान में शिक्षा का मर्म नहीं है। वह तो शिक्षा की प्राप्ति का एक साधारण सा साधन मात्र है केवल अक्षर ज्ञान से हम जानकारी हासिल तो कर सकते हैं किन्तु हमें वास्तविक या विवेक नहीं मिल सकता जैसे कबीर ने कहा था –

‘पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, हुआ न पंडित कोय ।

ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय ।।

महात्मा गाँधी ने इस पृष्ठभूमि में ही शिक्षा को समझा था। शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्न है⁴ –

1. जीविकोपार्जन

महात्मा गाँधी ने शिक्षा के जीविकोपार्जन सम्बन्धी उद्देश्य को अत्यधिक महत्व दिया था। उनका विचार था कि बालको किसी एक न एक व्यवसाय में इतनी दक्षता प्रदान करा दी जाये कि वह आत्मनिर्भर हो सकें साथ ही वह समाज का उत्पादक सदस्य हो सकें। उनके अनुसार इस प्रकार की शिक्षा से देश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

2. सांस्कृतिक विकास

महात्मा गाँधी व्यावसायिक दक्षता के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास को भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे। उन्होंने संस्कृति को जीवन का आधार माना था। उनके अनुसार शिक्षा द्वारा बालकों को संस्कृति का ज्ञान कराना आवश्यक है।

3. चारित्रिक विकास

महात्मा गाँधी चरित्र के विकास को अत्यधिक महत्व देते थे। इस बात का समर्थन इस कथन से होता है, मैंने हृदय की शुद्धि या चरित्र निर्माण को सदैव प्रथम स्थान दिया है।” इस प्रकार से यह

स्पष्ट होता है कि महात्मा गाँधी शिक्षा द्वारा चरित्र के विकास को अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में मानते थे।

4. व्यक्ति और समाज का विकास

महात्मा गाँधी द्वारा व्यक्ति और समाज के विकास को गति देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए।

5. राष्ट्रीय एकता

महात्मा गाँधी का यह भी विचार था कि शिक्षा का एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा विभिन्न वर्गों के लोगों में साम्प्रदायिक सदभाव उत्पन्न किया जा सकता है।

6. आध्यात्मिक स्वतन्त्रता

महात्मा गाँधी की सा विद्या या विमुक्तये की अवधारणा में पूर्ण आस्था थी। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक बंधनों से मुक्त करना आवश्यक है।

7. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास

महात्मा गाँधी को बालक के सर्वांगीण विकास को प्रमुख आधार एवं उद्देश्य मानते थे। उनका मत था कि शिक्षा के द्वारा बालक का शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का विकास होना चाहिए।

8. सामाजिक पुनःनिर्माण

व्यक्ति का सच्चा हित समाज के हित में निहित है इसलिए व्यक्ति के निर्माण के साथ-साथ हमें समाज के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा जो शिक्षा का सबसे बड़ा दायित्व है इसलिए शिक्षा के द्वारा हमें अनयन्त्रित व्यक्तिवाद, निरंकुश समष्टिवाद, व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य और सामाजिक नियन्त्रण के बीच का मार्ग ढूँढना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच कोई अन्तर्विरोध नहीं है। महात्मा गाँधी के अनुसार नये समाज का निर्माण जीर्ण-शीर्ण शिक्षा पद्धति से नहीं किया जा सकता। गाँधी कहते थे कि हमें अपनी विद्यालयों को वैसे समाज में बदल देना चाहिए जहाँ व्यक्तित्व कुण्ठित न होकर हमेशा विकसित होता रहे।⁵ इस प्रकार गाँधी ने शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करना ही नहीं, अपितु व्यक्तियों में समाज की सेवा की प्रेरणा और क्षमता उत्पन्न करना भी है।

9. शिक्षा की योजना

गाँधी ने शिक्षा के माध्यम से बालकों में स्वतन्त्र, समीक्षात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। गाँधी ने शिक्षा की जो योजना प्रस्तावित की उसे 'बुनियादी शिक्षा' और 'उच्च शिक्षा' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

10. बुनियादी शिक्षा

इसमें गाँधी ने प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों की शिक्षा को सम्मिलित किया। गाँधी ने स्पष्ट किया कि बुनियादी शिक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम को इस रूप में निर्धारित और संकलित किया जायेगा जिससे शिक्षा विद्यार्थियों के हृदय और शरीर दोनों का समन्वय विकास का माध्यम बनें।⁶

गाँधी ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाने पर सुझाव दिया। वे शिक्षा को ऐसा माध्यम बनाना चाहते थे। जिससे विद्यार्थी ग्रामीण वातावरण में ग्रामों की आवश्यकता को समझ कर उनकी पूर्ति के लिए आवश्यकता क्षमता भी अर्जित कर सकें। इस प्रकार बुनियादी शिक्षा की गाँधी द्वारा प्रस्तावित रूपरेखा को निम्न रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है :-

1. शिक्षा के प्रारम्भ में बच्चों को इतिहास, भूगोल, कला, गणित का मौखिक ज्ञान कराना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होगा। यह प्रारम्भिक चरण छः माह का होना चाहिए। उस समय में बालक वर्णमाला को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जायेगा।⁷
2. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थियों को गणित, इतिहास, भूगोल, और अन्य ऐसे ही विषयों के साथ-साथ किसी दस्तकारी या उद्योग की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इन उद्योगों में गाँधी ने कपास, रेशम आदि की बुनाई, सफाई, सूत काटना, हाथ से कागज बनाना आदि को सम्मिलित किया।
3. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कम से कम सात वर्ष का होना चाहिए। परन्तु इसका उद्देश्य बच्चों को इतना ज्ञान देना है कि जो उसे मैट्रिक तक के पाठ्यक्रम में प्राप्त हो।
4. बालकों को साम्प्रदायिक शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाये ताकि सहज मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके जिससे कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव व प्रेम विकसित कर सकें।

5. गाँधी ने अंग्रेजी व पाश्चात्य शिक्षा की भर्त्सना की और कहा कि विदेशी भाषा के माध्यम से हमारे नागरिकों को शिक्षा देने से मातृभाषा की समृद्धि कम हो जाती है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़ते हैं। शिक्षा का स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का अपमान न हो।
6. शिक्षा में बालक व बालिका के मध्य भेद नहीं किया जाना चाहिए व माध्यमिक स्तर तक की बुनियादी शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए।⁸

निष्कर्ष—

गाँधी का मत है कि बुनियादी शिक्षा की योजना व्यक्ति व समाज दोनों के लिए विकास का माध्यम बनेगी। यह बौद्धिक, आत्मिक और भौतिक विकास का माध्यम बनेगी। सामाजिक दृष्टि से टकराव, तनाव, संघर्षों की सम्भावनाएँ कम होगी। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से सभी व्यक्तियों के श्रम की गरिमा की भावना व्याप्त हो जायेगी और वे किसी व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझने की प्रवृत्ति सज्ज रूप से त्याग देंगे।⁹

गाँधी के अनुसार सच्ची शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। इस दृष्टि से शिक्षा में औपचारिक स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि सच्ची शिक्षा तो व्यक्ति के उस सकारात्मक दृष्टिकोण में व्यक्त होता है जिसके माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित एवं जागृत व्यक्ति के रूप में एक प्रगतिशील और न्यायप्रिय समाज की स्थापना का सक्रिय माध्यम बनता है। उच्च शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण रचनात्मक था।

महात्मा गाँधी ने उच्च शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन के सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि मेरी योजना में तो अधिक से अधिक और सुन्दर से सुन्दर पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और शोध संस्थान रहेंगे। उनमें जो ज्ञान मिलेगा वह जनता की सम्पत्ति होगी और जनता को उसका लाभ मिलेगा।¹⁰

शोध पत्र के सुझाव —

1. शिक्षा का व्यय भार राज्य द्वारा न वहन किया जाये।
2. कृषि महाविद्यालयों को स्वपोषी आधार पर संचालित करना।
3. औद्योगिक, तकनीकी व इंजिनियरिंग कॉलेजों पर होने वाला व्यय भार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वहन करना चाहिए। क्योंकि वास्तव में ये कॉलेज इन्हीं प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिए स्नातक तैयार करेंगे।

4. मेडिकल शिक्षा से जुड़े महाविद्यालय चुनिंदा अस्पतालों से सम्बन्ध कर दिया जाना चाहिए। धनाढ्य व व्यापारी वर्ग इनका वहन स्वेच्छापूर्ण वहन करेंगे।
5. कला संकाय के कॉलेज गाँधी जी के अनुसार स्नातकों को केवल साधारण ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। ज्ञान को स्वतः सुख माना जाता है।
6. उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। गाँधी जी ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा मातृभाषा या अन्तः प्रांतीय राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए।

गाँधी के शिक्षा सम्बन्धी विचारों के विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि वे परम्परागत अर्थ में शिक्षाविद् नहीं थे तथापि उन्होंने शिक्षा के विषय में एक दृष्टिकोण और व्यवहारिक रूपरेखा का प्रतिपादन किया। गाँधी ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे मानव के सर्वांगीण विकास का सोपान बताया।

गाँधी का दृढ़मत था कि दोषरहित शिक्षा प्रणाली से ही एक ऐसे समाज की स्थापना व कल्पना की जाती है जिसमें घृणा, शोषण व अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं हो और शाश्वत कर्तव्यबोध, सहिष्णुता और सौहार्दपूर्ण सामाजिक जीवन को अनुप्रणित करें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

1. एम.के. गाँधी : यंग इण्डिया, पृ० 101
2. कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी खण्ड 87 पृष्ठ 280
3. कलैक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी खण्ड 79 पृष्ठ 203
4. डॉ. जी.पी. नेमा., प्रताप सिंह : गाँधी का दर्शन रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर, पृ० 82
5. एस.एस. पटेल : एजुकेशन फिलॉसोफी ऑफ महात्मा गाँधी, पृष्ठ 57
6. हरिजन सेवक : 17 अप्रैल, 1937, पृ० 41
7. हरिजन सेवक : 9 अक्टूबर, 1937, पृ० 44
8. प्रो. मधुकर श्याम चतुर्वेदी : प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक कॉलेज बुक हाउस, जयपुर (2008), पृ० 104
9. हरिजन 18 सितम्बर, 1937, पृ० 106
10. हरिजन 31 जुलाई, 1937, वहीं पृ० 86